टिपर चंद बनाम मातु राम, आदि (न्यायमूर्ति सोढ़ी)'

उम्र अनुचित थी, मैं तदनुसार याचिकाकर्ता के लिए एकमात्र मुद्दा पाता हूं।

(20) इसलिए, परिणाम यह हुआ कि इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया और निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

आर.एन.एम

अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति एच.आर.सोढ़ी,

टिपर चंद, अपीलकर्ता।

बनाम

मातु राम और अन्य,-प्रतिवादी।

Regular Second Appeal No.'541 of 1959

10 सितंबर,. 1969.

*सिविल प्रक्रिया संहिता (वी*1908)-धारा 107, 149 और आदेश 1, नियम 11-आदेश 7 के प्रावधान, नियम 11-चाहे अपील पर लागू हों-न्यायालय-शुल्क के लिए अपील का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया-अपीलीय न्यायालय-चाहे बाध्य हो, अपीलकर्ता को इसे सही करने का अवसर दे .

अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7, नियम 11 के प्रावधान अपील पर लागू नहीं होते हैं और अपीलीय न्यायालय अपीलकर्ता को अदालत-शुल्क के उद्देश्य से अपील के मूल्यांकन को सही करने का अवसर देने के लिए बाध्य नहीं है। अपील खारिज होने से पहले न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संहिता की धारा 107 के आधार पर, एक अपीलीय न्यायालय के पास वादों के संबंध में मूल न्यायालय के समान शक्तियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आदेश 7 नियम 11 अपील के संदर्भ में लागू हो जाता है। कानून का एकमात्र प्रावधान जिसके तहत एक अपीलीय अदालत घाटे की अदालत-फीस को पूरा करने के उद्देश्य से समय बढ़ा सकती है, संहिता की धारा 149 है जो इस संबंध में न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करती है।

विवेक न्यायिक होना चाहिए न कि मनमाना। जहां एक न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि उचित न्यायालय-शुल्क का भुगतान न करने की गलती प्रामाणिक है एक, केवल तभी यह अपने द्वारा निर्धारित समय के भीतर कमी को पूरा करने की अनुमति देने के लिए बाध्य है। (पैरा 5 और 6)

श्री ओ.पी शर्मा, वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के साथ, करनाल, दिनांक 5 दिसंबर 1958, *की डिक्री से नियमित द्वितीय अपील,* श्री अवतार सिंह गिल, सब जज, द्वितीय श्रेणी, कैथल की दिनांक 26 अक्टूबर, 1957 की पुष्टि।

ए.एल बहरी, अपीलकर्ता के वकील।

प्रकाश चंद, मातू राम, मृतक, के कानूनी प्रतिनिधियों के वकील

निर्णय

न्यायमूर्ति सोढ़ी,—यह वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, करनाल के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के फैसले और डिक्री के खिलाफ प्रतिवादी टिपर चंद की नियमित दूसरी अपील है, जिन्होंने 5 दिसंबर, 1958 को उनकी अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इस पर पर्याप्त मुहर नहीं लगाई गई थी। और यह कि अपीलकर्ता की ओर से गलती वास्तविक नहीं थी। कानून के बिंदु के उचित निराकरण के लिए आवश्यक तथ्यों को एक संकीर्ण दायरे में बताया जा सकता है।

(2) मैट माटुनरामएयर वादी प्रतिवादी ने अपीलकर्ता और उसके भाई अयुधिया पार्षद के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें प्रतिवादी ने अपीलकर्ता को स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की, ताकि अपीलकर्ता को आंतरिक दलहिज की छत के दक्षिणी आधे हिस्से के स्वामित्व और कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका जा सके, जैसा कि वादी के साथ दायर योजना में दिखाया गया है। साथ ही छत के उस हिस्से को रास्ते के रूप में इस्तेमाल करने से और उसमें कोई दरवाजा खोलने से भी रोका। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला सुनाया और प्रतिवादी अपीलकर्ता को किसी भी तरह से आंतरिक दलहिज़ की छत के दक्षिणी आधे हिस्से के संबंध में किसी भी दरवाजे या एक का निर्माण करके वादी के स्वामित्व और कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकते हुए एक स्थायी निषेधाज्ञा दी। उसकी ओर खुलना या उसके ऊपर से गुजरना। यह भी निर्देश दिया गया कि प्रतिवादी अपीलकर्ता और वादी प्रतिवादी 1 दिसंबर, 1957 से पहले पूर्व से पश्चिम तक विवादित संपत्ति के बीच में 4 इंच चौड़ा और 10 फीट ऊंचाएक विभाजन दीवार का निर्माण करेंगे , खर्च बराबर वहन। यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रतिवादी अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई थी कि वादी द्वारा मामले में अपेक्षित कोर्ट-फी का भुगतान नहीं किया गया है। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2 ने मुकदमे का विरोध नहीं किया और वादी द्वारा अपने वादपत्र में बताए गए तथ्यों को स्वीकार कर लिया।

(3) करनाल के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश, बढ़ी हुई अपीलीय शक्तियों के पास एक अपील की गई, जिनकी राय थी कि पार्टियों की दलीलों से उत्पन्न होने वाले आवश्यक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया था और वादपत्र पर पर्याप्त मुहर भी नहीं लगाई गई थी। उन्होंने माना कि वादी ने निषेधाज्ञा के माध्यम से दो अलग और अलग राहतें मांगी थीं, प्रतिवादी नंबर 1 को दरवाजा खोलने से रोकना और साथ ही छत के एक हिस्से का उपयोग करने से रोकना, जिसे योजना में लाल दिखाया गया है, मार्ग के रूप में। वैकल्पिक राहत के लिए प्रार्थना की गई थी कि विभाजन द्वारा आंतरिक दलहिज़ की छत के आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया जाए। अपील की सुनवाई करने वाले वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश ने सूट वैल्यूएशन आईएएक्ट की धारा 9 के तहत बनाए गए नियमों पर भरोसा करते हुए कहा कि दोनों राहतों के संबंध में अदालत-शुल्क और क्षेत्राधिकार के प्रयोजनों के लिए मूल्य रु 140, और इन दोनों राहतों के लिए देय न्यायालय शुल्क की कुल राशि रु. 21। परिणामस्वरूप मामले को वापस भेज दिया गया और वादी को अदालत-शुल्क में कमी को पूरा करने की अनुमति दी गई। ट्रायल कोर्ट ने मुद्दों पर पुनर्निर्णय के रूप में निष्कर्ष दिए जिन्हें यहां पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि मुकदमे का फैसला फिर से किया गया था। वादी को पहले से ही ऊपर उल्लिखित शर्तों में प्रतिवादी नंबर 1 को रोकते हुए एक स्थायी निषेधाज्ञा दी गई थी।

(4) प्रतिवादी की ओर से फिर से एक अपील दायर की गई, लेकिन राहत का मूल्य रु. 130 और रुपये 13की कोर्ट-फी का भुगतान किया। केवल दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता ने एक राहत के लिए अदालती शुल्क का भुगतान किया और उसमें भी एक रुपये की कमी थी। द्यपि उन्होंने स्वयं एक आपत्ति उठाई थी कि पहले ट्रायल कोर्ट में वादी द्वारा निषेधाज्ञा की दो राहतों पर अदालत शुल्क का भुगतान किया गया था, जिसका मूल्य रु। 280, जिसके लिए रुपये 38, की कोर्ट-फी की आवश्यकता थी। अपीलकर्ता ने स्वयं पिछली अपील में रुपये 21, का न्यायालय शुल्क अदा किया था। जो दो अलग-अलग राहतों के संबंध में था। वादी प्रतिवादी द्वारा वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के समक्ष एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि अपील पर अपर्याप्त मुहर लगाई गई थी और इसलिए केवल उस आधार पर खारिज किया जा सकता है। यह आपत्ति मान्य हुई और तदनुसार अपील खारिज कर दी गई। अत: वर्तमान द्वितीय अपील।¬

(5) एकमात्र प्रस्तुतिकरण श्री एल.ए. द्वारा किया गया। अपीलकर्ता के सह-अध्यक्ष एल. बहरी का कहना है कि निचली अपीलीय अदालत नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के संदर्भ में कानून के तहत बाध्य थी, ताकि अपीलकर्ता को मूल्यांकन को सही करने का अवसर दिया जा सके। न्यायालय द्वारा एक समय तय किया जाना था और ऐसा करने में उसके असफल होने पर ही अपील खारिज की जा सकती थी। आग्रह है कि संहिता का आदेश 7 नियम 11 उसी संहिता की धारा 107 के आधार पर अपीलों पर भी लागू होता है। धारा 107 निम्नलिखित शर्तों में है: -

> "107 (1) ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, एक अपीलीय न्यायालय के पास शक्ति होगी-
>
> (a) किसी मामले का अंतिम निर्धारण करना;
>
> (b) किसी मामले को रिमांड पर लेना;
>
> (c) मुद्दों को तैयार करना और उन्हें परीक्षण के लिए संदर्भित करना;
>
> (d) अतिरिक्त साक्ष्य लेने के लिए या ऐसे साक्ष्य लेने की आवश्यकता के लिए।
>
> (2) जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है, अपीलीय न्यायालय के पास समान शक्तियां होंगी और वह लगभग उन्हीं कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा वहां शुरू किए गए मुकदमों के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालयों को प्रदान और लगाए गए हैं।¬

आगे यह तर्क दिया गया है कि किसी भी मामले में, अपीलीय न्यायालय धारा 149, नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत अपने विवेक का प्रयोग करते हुए, अपीलकर्ता को अदालत-शुल्क में कमी को पूरा करने के लिए कुछ समय दे सकता था। इस संबंध में विद्वान वकील द्वारा महाबीर राम और अन्य बनाम कपिलदेव पाठक और अन्य (1) के रूप में रिपोर्ट किए गए पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले पर भरोसा किया गया है। वहां यह माना गया है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान अपीलों पर भी लागू होते हैं और जहां अपील के ज्ञापन पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगाई गई है, अदालत को अपीलकर्ता को अदालत-शुल्क की कमी को पूरा करने का अवसर देना चाहिए, और अपील के ज्ञापन को इस आधार पर सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उस पर पर्याप्त मुहर नहीं लगी है। यह प्राधिकरण अपीलकर्ता का पूरी तरह से समर्थन करता है और इसी प्रभाव के तहत बॉम्बे, कलकत्ता, राजस्थान और ट्रानवंकोर-कोचीन उच्च न्यायालयों के कुछ फैसले भी लागू होते हैं।¬

(6) वास्तव में इस प्रश्न पर मतभेद है कि क्या आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान अपील पर लागू होते हैं! या नहीं। हालाँकि, बेदवंत सिंह बनाम जगजीत सिंह और अन्य, (2) में लाहौर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना है कि वे

(1) ए.आई.आर 1957 पैट 111
(2) ए.आई.आर 1947 लाह. 210.

अपीलों पर लागू नहीं है और यह संहिता की धारा 149 के तहत न्यायालय के विवेक का मामला है कि घाटे की अदालती फीस के भुगतान का समय बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। एस वाजिद अली बनाम माउंट इसर बानो उर्फ इसर फातमा (3) के रूप में रिपोर्ट किए गए एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा भी यही विचार रखा गया था। ऐसा हो सकता है कि धारा 107 के आधार पर, एक अपीलीय न्यायालय के पास वादपत्रों के संबंध में मूल न्यायालय के समान शक्तियां हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आदेश 7 नियम 11, अपील के संदर्भ में लागू हो जाता है। मुझे लाहौर उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले का पालन करना चाहिए, जो, मैं पूरे सम्मान के साथ कह सकता हूं, सही कानून बनाता है। कानून का एकमात्र प्रावधान जिसके तहत एक अपीलीय अदालत समय बढ़ा सकती है, वह संहिता की धारा 149 है जो इस संबंध में न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करती है। निःसंदेह, यह सच है कि विवेक न्यायिक होना चाहिए न कि मनमाना। जहां एक अदालत इस बात से संतुष्ट है कि उचित अदालती शुल्क

का भुगतान न करने की गलती वास्तविक थी, तो वह अपने द्वारा निर्धारित समय के भीतर कमी को पूरा करने की अनुमति देने के लिए बाध्य है। मौजूदा मामले में, अपीलीय अदालत सही निष्कर्ष पर पहुंची है कि गलती वास्तविक नहीं थी। अपीलकर्ता ने स्वयं एक आपत्ति उठाई कि वादी ने उचित न्यायालय शुल्क का भुगतान नहीं किया था क्योंकि दोनों राहतें शामिल थीं और वादी ने कमी पूरी कर ली थी। उन्होंने स्वयं पहले इसी आधार पर कोर्ट-फी का भुगतान करते हुए अपील दायर की थी, लेकिन वर्तमान अपील में, उन्होंने अपने सबसे अच्छे परिचित पिस्सू के लिए कम कोर्टफी का भुगतान करने का विकल्प चुना। इसलिए, प्रथम अपील की अदालत ने अपील को इस आधार पर खारिज करना उचित ठहराया कि उस पर अपर्याप्त मुहर लगी थी, और अपीलकर्ता को कमी को पूरा करने के लिए और अधिक समय नहीं दिया गया।

(7) अपील भी समाप्त हो गई है। मातुन रामसद की मृत्यु फरवरी, 1962 को हुई थी, और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक आवेदन 1 जून, 1962 को किया गया था, जो 90 दिनों की अवधि के बाद था। आवेदन करने में देरी के लिए स्पष्टीकरण यह दिया गया है कि अपीलकर्ता जुलुंदुर में रह रहा था और मातू राम की मृत्यु कैथल, जिला करनाल में हुई थी। अपीलकर्ता का दावा है कि उसे नगरपालिका समिति, कैथल से 26 मई, 1962 के एक पत्र द्वारा प्रामाणिक जानकारी मिली थी, और उसके बाद ही उसने 1 जून, 1962 को मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन किया था। सूचना की प्राप्ति और इस न्यायालय में आवेदन दाखिल करने के बीच छह दिनों से अधिक का अंतर, जिसे स्पष्ट नहीं किया गया है। मेरे सामने यह स्वीकार किया गया है कि पार्टियाँ एक -दूसरे से संबंधित हैं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि याचिकाकर्ता को मातू राम के रिश्तेदार होने के कारण उसकी मौत के बारे में पता नहीं था।¬

(3) ए.आई.आर 1951 सभी। 64

ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी देरी को कवर करने के लिए, उन्होंने वादी की मृत्यु के बारे में जानकारी के लिए नगरपालिका समिति, कैथल को लिखा, ताकि वह लिखित जानकारी से लैस हो सकें और उस पर भरोसा कर सकें कि देरी जानबूझकर नहीं की गई थी। उनके हलफनामे में अंतर्निहित साक्ष्य हैं जो उनके बयान को झुठलाते हैं और मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उन्हें मुटू राम की मौत के बारे में जानकारी नहीं थी। इसलिए अपील को समाप्त माना जाना चाहिए।¬¬

(8) उपरोक्त कारणों से अपील खारिज कर दी गई है, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ममता,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रोहतक, हरियाणा।